

शाचाकार्ड | जितेन्द्र
R-1079-I/10

23.11.2016

NAF present
original
at court
PO

उप

पत्र

आवेदक की ओर से कृत्रिम
उत्पन्न कोई भी उपाक्षिप्त नहीं।
अर्थात् आवेदक की ओर से भी एचए
एचओ उपाक्षिप्त आरम्भात्मक आक्षिप्त
प्रकरण वर्ष 2010 से लागू है।
आवेदक की ओर से कोई उपाक्षिप्त
नहीं हो रहा है। अतः प्रकरण
अदालत में खालि किया जाता
है।

अध्यास

अध्यास

अध्यास